भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1009

दिनांक 04.03.2015/13 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा विदेशों से ली गई निधियों का राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में उपयोग किया जाना

†1009. श्री प्रभात झा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के समक्ष ऐसे मामले आए हैं जिनमें गैर-सरकारी संगठन विदेशों से प्राप्त की जा रही निधियों का इस्तेमाल राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में करते हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या ऐसे गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)

(क) से (घ) : जी, हां। कुछ गैर सरकारी संगठनों जैसे कि तूतीकोरिन डिओसिसन एसोसिएशन, तूतीकोरिन, ईस्ट कोस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट, थोडुकुडी और ग्रीनपीस इंडिया सोसाइटी, चेन्नई के खिलाफ प्रतिकूल रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं। इन गैर-सरकारी संगठनों का निरीक्षण/जांच की गई है। निरीक्षण/जांच रिपोर्टों के आधार पर, तूतीकोरिन डिओसिसन एसोसिएशन तथा सेंटर फॉर प्रमोशन एंड सोशल कन्सर्न का एफसीआरए पंजीकरण निलंबित कर दिया गया है तथा उनके बैंक खातों पर रोक लगा दी गई है। ईस्ट कोस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट का एफसीआरए पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। ग्रीनपीस इंटरनेशनल को निगरानी-सूची में डाल दिया गया है। सेंटर फॉर प्रमोशन एंड सोसल कन्सर्न, मदुरई का मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया गया है।

*****